

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

क्रमांक: प.1(1)चिस्वा/गुप-2/2020


जयपुर, दिनांक : 01.12.2020

जिला कलक्टर,
प्रतापगढ (राज.)

विषय:- यू. टी. बी. आधार पर पैरा मेडिकल स्टाफ को भर्ती किये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण को Pandemic घोषित करने तथा इस संदर्भ में उत्पन्न स्थिति से निपटने के परिप्रेक्ष्य में विभाग के आदेश 30.03.2020 की पालना में राजकीय डेडीकैटेड अस्पताल, प्रतापगढ के लिए 40 पैरा मेडिकल स्टाफ (यथा जीएनएम, लैब टेक्नीशियन आदि) को विभाग के आदेश दिनांक 04.10.2014, 09.11.2017 में निर्धारित शर्त पर जिला स्वास्थ्य कमेटी के माध्यम से यूटीबी आधार पर पूर्व निर्धारित दरों पर कोरोना वायरस (COVID-19) के नियंत्रण तक भरे जाने की स्वीकृति वित्त विभाग की निम्नानुसार शर्तों के अधधीन प्रदान की जाती है:-

1. यूटीबी आधार पर पैरामेडिकल स्टाफ यथा जीएनएम, लैब टेक्निशियन आदि को कोरोना वायरस (COVID-19) के नियंत्रण तक एन. एच. एम. द्वारा पूर्व निर्धारित मानदेय पर।
3. यूटीबी आधार पर उक्त भर्ती में राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 तथा समय-समय पर संशोधित नियम तथा अन्य भर्ती नियमों की पालना सुनिश्चित की जावे।
4. यूटीबी आधार पर उक्त भर्ती कोरोना वायरस (COVID-19) के नियंत्रण तक ही लागू होगी।


(संजय कुमार)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/
2. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
3. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन उदयपुर
5. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, प्रतापगढ
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ
7. निजी /रक्षित पत्रावली


(संजय कुमार)
शासन उप सचिव